न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 21/2013 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– हनुमान पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 5 एस.टी.बी. बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

———अपीलान्ट

---बनाम---

राजस्थान राज्य।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री करणसिंह — अभिभाषक अपीलांट
श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 31.07.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 29.05.13 जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 01/2009 का ऐरिया विस्तार का प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 01/2009 ऐरिया जिला हनुमानगढ तक बना हुआ है, जो दिनांक 15.10.2013 तक नवीनीकृत है, जिस पर दो राईफलें क्रमशः 500 बोर डीबीबीएल गन नं. 3547 तथा डीबीबीएल गन नं. 2558–93 दर्ज है। अपीलांट की राजस्थान के अतिरिक्त पंजाब व हरियाणा में रिश्तेदारी होने तथा कारोबार के सिलसिले में वहॉ आना–जाना होने के कारण उक्त लाईसेंस का राजस्थान के साथ–साथ पंजाब व हरियाणा तक ऐरिया विस्तार कराने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ ने अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र में ऐरिया विस्तार किये जाने के दिये गये कारणों से असहमति प्रकट करते हुए तथा अपीलांट द्वारा कोई सारभूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2013 से अपीलांट का ऐरिया विस्तार का आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय प्रस्तुत की गयी है।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। वरवक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट का लाईसेंस केवल हनुमानगढ जिले के लिये बना हुआ है। अपीलांट की रिश्तेदारी हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के अन्य शहरों में भी है, जहॉ अपीलांट को आना जाना पड़ता है। अपीलांट ने अपनी सुरक्षा हेतु लाईसेंस ले रखा है। अपीलांट का लाईसेंस ऐरिया विस्तार का आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में कथन किया है कि अपीलांट ने आवेदन के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया केवल पीलीबंगा से महाजन तक की रेल यात्रा का टिकट पेश किया है, जो पर्याप्त आधार नहीं, किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें स्वंय के वाहन से बाहर आना–जाना का कथन किया है। किसी भी व्यक्ति की रिश्तेदारी अपने गांव तहसील व जिले से बाहर होना स्वभाविक है तथा रिश्तेदारी में बाहर आना–जाना समाज में रिश्तेदारी निभाना प्राकृतिक जीवन का एक हिस्सा है तथा जीवन शैली है। इसके लिये हर भाषा का टिकट संभाल कर रखना आवश्यक भी नहीं होता और यदि अपीलांट अपने स्वंय के वाहन में सफर करता है तो टिकट की आवश्यकता भी नहीं होती। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार नहीं होने की बात कह कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। अपीलांट द्वारा कभी भी अपने शस्त्र लाईसेंस का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने ऐरिया विस्तार के आवेदन पत्र में दिये कारणों के समर्थन में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलाधीन आदेश में जो आधार लिये गये है, वह उचित है। अपीलांट साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

6. हमने अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का भी ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 01/2009 ऐरिया जिला हनुमानगढ का समस्त राजस्थान, पंजाब व हरियाणा तक क्षेत्र विस्तार कराने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ ने अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र में ऐरिया विस्तार किये जाने के दिये गये कारणों

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

से असहमति प्रकट करते हुए तथा अपीलांट द्वारा कोई सारभूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2013 से अपीलांट का ऐरिया विस्तार का आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया। वरवक्त बहस अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट को अपनी रिश्तेदारी में जाने व कारोबार के सिलसिले में राजस्थान के अन्य शहरों, हरियाणा व पंजाब तक आना–जाना पड़ता है। रिश्तेदारी निभाना प्राकृतिक जीवन का एक हिस्सा है। साक्ष्य स्वरूप पीलीबंगा का रेल यात्रा टिकट प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट अपने निजी वाहन से यात्राऐं करता है इसलिए सभी जगह के टिकट प्रस्तुत करना संभव नहीं बताया है, परन्तु विद्वान अभिभाषक ने वरवक्त बहस हमारे समक्ष कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये हैं, जिनसे यह प्रकट होता हो कि अपीलांट के लाईसेंस का एरिया विस्तार किया जाना अत्यावश्यक है। विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने भी अपीलाधीन आदेश को उचित बताया है। अपीलांट लाईसेंस के ऐरिया विस्तार हेतु दिये कारणों को सिद्ध करने में असफल रहा है।

7. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए हम अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2013 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।
8. अतः अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2013 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।
9. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर